अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/281

दशरथ उर्फ धर्मेन्द्र कुमार आत्मज श्री मांगीलाल जी जाति कुम्हार निवासी ग्राम धाकडखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. तुलसीराम आत्मज स्व0 श्री अमर लाल जी जाति प्रजापति निवासी ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. मांगीलाल आत्मज तुलसीराम जी जाति प्रजापति ।
3. कन्हैयालाल आत्मज तुलसीराम जी जाति प्रजापति ।
4. जगदीश आत्मज तुलसीराम जी जाति प्रजापति ।
5. हरिओम आत्मज तुलसीराम जी जाति प्रजापति ।
6. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।
7. सुरेन्द्र आत्मज मांगीलाल नाबालिग ।
8. गजेन्द्र आत्मज मांगीलाल नाबालिग ।
9. दीपक आत्मज मांगीलाल नाबालिग ।
10. कु0 ज्योति पुत्री मांगीलाल नाबालिग जरिये वली पिता मांगीलाल आत्मज तुलसीराम जी जाति कुम्हार प्रजापति निवासीगण ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2018 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 66/दावा/2012

दशरथ उर्फ धर्मेन्द्र कुमार आत्मज श्री मांगीलाल जी जाति कुम्हार निवासी ग्राम धाकडखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. तुलसीराम आत्मज स्व0 श्री अमर लाल जी जाति प्रजापति निवासी ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. मांगीलाल आत्मज तुलसीराम जी जाति प्रजापति ।
3. कन्हैयालाल आत्मज तुलसीराम जी जाति प्रजापति ।
4. जगदीश आत्मज तुलसीराम जी जाति प्रजापति ।
5. हरिओम आत्मज तुलसीराम जी जाति प्रजापति ।
6. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।
7. सुरेन्द्र आत्मज मांगीलाल नाबालिग ।
8. गजेन्द्र आत्मज मांगीलाल नाबालिग ।
9. दीपक आत्मज मांगीलाल नाबालिग ।
10. कु0 ज्योति पुत्री मांगीलाल नाबालिग जरिये वली पिता मांगीलाल आत्मज तुलसीराम जी जाति कुम्हार प्रजापति निवासीगण ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2018 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 22.10.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री रविन्द्र खण्डेलवाल के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री डिक्री दिनांक 16.04.2018 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 22.10.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

22.10.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/281

दशरथ उर्फ धर्मेन्द्र कुमार आत्मज श्री मांगीलाल जी जाति कुम्हार निवासी ग्राम धाकडखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. तुलसीराम आत्मज स्व0 श्री अमर लाल जी जाति प्रजापति निवासी ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. मांगीलाल आत्मज तुलसीराम जी जाति प्रजापति ।
3. कन्हैयालाल आत्मज तुलसीराम जी जाति प्रजापति ।
4. जगदीश आत्मज तुलसीराम जी जाति प्रजापति ।
5. हरिओम आत्मज तुलसीराम जी जाति प्रजापति ।
6. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।
7. सुरेन्द्र आत्मज मांगीलाल नाबालिग ।
8. गजेन्द्र आत्मज मांगीलाल नाबालिग ।
9. दीपक आत्मज मांगीलाल नाबालिग ।
10. कु0 ज्योति पुत्री मांगीलाल नाबालिग जरिये वली पिता मांगीलाल आत्मज तुलसीराम जी जाति कुम्हार प्रजापति निवासीगण ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 22.10.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89, 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी श्री मांगीलाल प्रतिवादी कम 2 का पुत्र एवं प्रतिवादी कम 1 का पौत्र है जो अपनी माता श्रीमती सुगना बाई के संरक्षण में उनके साथ निवास करता है । वादी के

दादाजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में ग्राम कुराड तहसील सांगोद में खाता संख्या 142 रकबा खसरा नम्बर 383 की रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 384 रकबा 5.77 हैक्टर कुल 02 किता की 5.78 हैक्टर भूमि स्थित है । ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 135 रकबा 1. 29 हैक्टर, खसरा नम्बर 160 रकबा 2.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 195 की रकबा 0.01 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 3.69 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है जिसमें वादी के पिता मांगीलाल का अन्य प्रतिवादीगण के साथ 1/5 हिस्सा बनता है में से 1/2 हिस्से वादी का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बनता है जिसे वादी अन्य प्रतिवादीगण के सथ– साथ सहखातेदार की घोषणा कराकर अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा कराने का अधिकारी है । प्रतिवादी क्रम 2 मांगीलाल जी से वादी बालिग होने तक पारिवारिक न्यायालय कोटा के आदेश के भरण पोषण राशि प्राप्त करता रहा है । वादी के बालिग होने पर वादी ने अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 01.07.08 को नोटिस दिलवाया जिस पर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने राजीनामा कर विवादित भूमि में से उसे हिस्सा देने का आश्वासन दिया परन्तु आज तक उन्हें हिस्सा नहीं दिया गया है ।

3. अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे कि वादी को विवादित आराजी दोनों गॉवों में वादी के पिता के हिस्से में से 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे । वादी को घोषित हिस्से विवादित आराजीयात में वास्तविक बंटवारा किया जाकर अंतिम बंटवारे की डिक्री पारित की जावे एवं वास्तविक कब्जा दिलाये जाने की डिक्री जारी की जावे ।

4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2018 के द्वारा दावा एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर अपना निष्कर्ष पारित करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2018 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी अपीलान्ट के दादा के नाम खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है जिसमें अपीलान्ट का जन्म से ही कानूनी अधिकार है । इस तथ्य को वादी अपीलान्ट ने शहादत से प्रमाणित कर दिया था । अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी का पुश्तैनी आराजी नहीं होना मानने में त्रुटि की है । ग्राम कुराड की कृषि भूमि पुश्तैनी जायदाद की आमदनी से क्रय किये जाने से पुश्तैनी जायदाद है । इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी भूमि है जिसमें अपीलान्ट का जन्म से ही कानूनी अधिकार है । इस तथ्य को वादी अपीलान्ट ने शहादत से प्रमाणित कर दिया था । अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी का पुश्तैनी आराजी नहीं होना मानने में त्रुटि की है ।

ग्राम कुराड की कृषि भूमि पुश्तैनी जायदाद की आमदनी से क्रय किये जाने से पुश्तैनी जायदाद है इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम मानपुरा व ग्राम कुराड की वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का कोई हक व अधिकार नहीं होना मानकर तनकी क्रम 1 व 2 का निर्णय वादी अपीलान्ट के विरूद्ध पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 3व 4 पृथक से तय किया जाना आवश्यक नहीं होना मानकर एवं तनकी नम्बर 3व 4 से सम्बन्धित बिन्दु तनकी नम्बर 1 व 2 में तय होना मानकर दावा वादी अपीलान्ट खारिज करने में त्रुटि की है । प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरें प्रकरण हाजा में लागू नहीं होती है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नजीरों का गलत अर्थ निकाल कर दावा वादी अपीलान्ट खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट की साक्ष्य पर गौर किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2018 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में डीएनजे 2006 पेज 992, आरआरटी 2001 पेज 350, एआईआर 1984 (एससी) पेज 1234 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम कुराड की प्रतिवादी क्रम 1 ने जरिये रजिस्टर्ड दिनांक 30.05.91 को क्रय की है । उक्त भूमि प्रतिवादी की स्वअर्जित भूमि है जिसमें वादी किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा की आराजी प्रतिवादी के खाते एवं कब्जे काश्त में है जिसमें वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । मांगीलाल के वादी के अलावा 3 पुत्र और एक पुत्री है । यदि पुश्तैनी सम्पत्ति में मांगीलाल का हिस्सा बनता है भी है तो उस स्थिति में मांगीलाल की सम्पत्ति में 06 हिस्से होंगे । जबकि वादी के द्वारा इसमें 1/2 हिस्सा मांगा गया है जो गलत है । वादी ने अपने पिता की सेवा सुश्रषा नहीं की है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय उत्तम चन्द बनाम सौभाग सिंह के अनुसार पिता के जीवनकाल में वादी को कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16. 04.2018 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में डीएनजे 2016 (I) पेज 258 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी संवत् 2063 से 2066 प्रदर्श– 1 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम मानपुरा की कुल 03 किता की 3.69 हैक्टर आराजी तुलसीराम पुत्र अमरलाल जाति कुम्हार के नाम खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2062 से 2065 प्रदर्श– 2 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम कुराड तहसील सांगोद की कुल 02 किता की 5.78 हैक्टर भूमि तुलसीराम पुत्र अमरलाल कौम कुम्हार के नाम खातेदारी में दर्ज है। नोटिस प्रदर्श– 3, नकल निर्णय पारिवारिक न्यायालय दिनांक 17.01.1997 प्रदर्श– 4 संलग्न है । नकल जमाबन्दी संवत् 2006 से 2011 प्रदर्श– 5, इंतकाल संख्या 18 प्रदर्श– 6, नकल नामान्तरकरण प्रदर्श– 7, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 8 एवं 9 संलग्न हैं ।

11. प्रतिवादी की ओर से विक्रय विलेख की फोटो प्रति प्रदर्श– डी– 1 है और नकल जमाबन्दी प्रदर्श – डी–2 पेश किये गये हैं ।

12. बयान वादी दशरथ कुमार कराये गये हैं ।

13. प्रतिवादी की ओर से बयान तुलसीराम कराये गये हैं । इन बयानों में पीडब्ल्यू या डी डब्ल्यू कुछ भी अंकित नहीं किया गया है ।

14. पत्रावली पर जो नकल जमाबन्दी संलग्न है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी कम 1 तुलसीराम के खाते में दर्ज है । विक्रय विलेख की जो फोटो प्रति पेश की गई है उसके अनुसार ग्राम कुराड की आराजी प्रतिवादी कम 1 के द्वारा सन् 1991 में क्रय की गई है । वादी के द्वारा दोनों ही सम्पत्तियों को पैतृक बताते हुए उसे हक, घोषणा एवं बंटवारे का वाद पेश किया है । प्रतिवादी कम 1 वादी के दादा हैं जिससे खाते में आराजी है और प्रतिवादी कम 2 वादी के पिता है जो अभी जीवित हैं । ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त डीएनजे 2016 (एससी) पेज 258 के अनुसार वादग्रस्त आराजी में पिता के जीवनकाल में उन्हें (वादी) कोई अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते ।

15. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री डिक्री दिनांक 16.04.2018 बहाल रखा जाता है ।

17. निर्णय आज दिनांक 22.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22.10.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा